The heart of Incredible India

मध्य प्रदेश
फिल्म पर्यटन नीति 2020

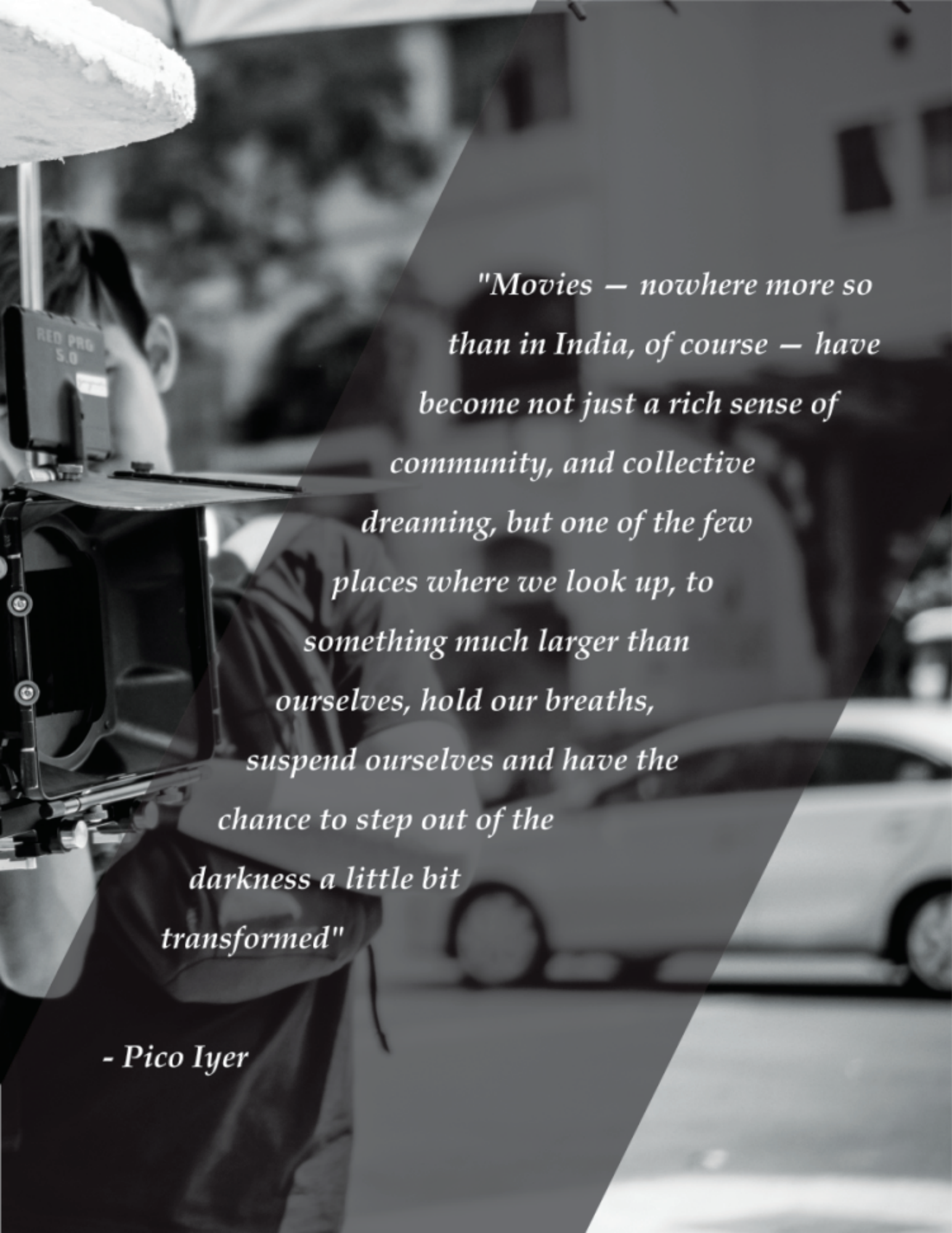

"Movies — nowhere more so than in India, of course — have become not just a rich sense of community, and collective dreaming, but one of the few places where we look up, to something much larger than ourselves, hold our breaths, suspend ourselves and have the chance to step out of the darkness a little bit transformed"

- Pico Iyer

मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020

अनुक्रमणिका

1.	दृष्टि	02
2.	परिभाषाएं	02
3.	उद्देश्य	02
4.	रणनीति	03
5.	सलाहकार/साधिकार समिति	03
6.	फिल्म फेसीलिटेशन सेल	03
7.	क्रियान्वयन	04
8.	सिंगल विंडो क्लीयरेंस	04
9.	राज्य में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार–प्रसार एवं प्रोत्साहन सहायता	05
10.	फिल्म पर्यटन नीति अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन	05
11.	बुनियादी ढांचे का विकास	09
12.	सर्विस इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास	09
13.	विशिष्ट आधारभूत संरचना सहायता	09
14.	फिल्म मेकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रोत्साहन	09
15.	भौतिक आधारभूत संरचना बनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन	09
16.	फिल्म सिटी	10
17.	फिल्म स्टूडियो एवं लैब	10
18.	भूमि बैंक	10
19.	फिल्म स्क्रीनिंग	11
20.	कौशल विकास और क्षमता निर्माण	12
21	राज्य सहयोग हेतु अर्हता	12
22.	नीति को लागू करना और वैधता अवधि	13
23.	विवाद समाधान	13
24.	संशोधन नीति–2020	13
25.	परिशिष्ट ''अ''	14
26.	म.प्र. शासन, पर्यटन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश	15

हैरीटेज नगरीय ग्रामीण हस्तकला व शिल्पकला प्राकृतिक

वन्य जीवन खान–पान कला/त्यौहार रोमांचक

म.प्र. शासन पर्यटन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्र. एफ 01–17/2019 तैंतीस भोपाल
दिनांक 02/03/2020 के पारित अनुसार

मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020

मध्य प्रदेश में फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स, और रियलिटी शो, डाक्यूमेंट्री के निर्माण/फिल्मांकन के लिये सुविधा/प्रोत्साहन एवं फिल्म पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु

1. दृष्टि :

मध्य प्रदेश को प्रमुख फिल्म पर्यटन अनुकूल राज्य बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।

2. परिभाषाएं :

''नीति'' का अर्थ, मध्य प्रदेश की फिल्म पर्यटन नीति, 2020 से है।

''राज्य'' का अर्थ, मध्य प्रदेश राज्य से है।

''शासन'' का अर्थ, मध्य प्रदेश शासन के विभाग और उसके स्वामित्व वाले उपक्रम से है।

''बोर्ड'' का अर्थ है, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड।

''प्रबंध संचालक'' का अर्थ है, प्रबंध संचालक,मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड।

''केन्द्र शासन'' का अर्थ, भारत सरकार एवं इसके उपक्रम से है।

''फिल्म'' की परिभाषा सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में दी गई है, जो निम्नानुसार है।

''फिल्म'' का अर्थ एक सिनेमैटोग्राफ फिल्म है।

* ''फीचर फिल्म'' से आशय है ''न्यूनतम 90 मिनिट की सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, जो केन्द्रीय सेंसर बोर्ड से श्रेणीकृत/प्रमाणीकृत हो तथा सिनेमाघर में प्रक्रियानुसार रिलीज की गई हो'' से है।

* भारतीय सिनेमैटोग्राफी अधिनियम 1952 में वेब श्रृंखला, टीवी धारावाहिक/शो, रियलिटी शो/डाक्यूरमेन्ट्री आदि को परिभाषित नहीं किया गया है। अतः नीति के तहत इन्हें लाभ प्रदान करने का निर्णय, ''फिल्म फेसीलिटेशन सेल'' द्वारा लिया जाएगा, जैसा कि नीति में उल्लेख है।

3. उद्देश्य : फिल्म पर्यटन नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

3.1 प्रदेश में फिल्म निर्माण को फिल्म निर्माताओं के मध्य पहली पसन्द बनाना।

3.2 फिल्मों की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश को सेन्ट्रल हब के रूप में विकसित करना।

3.3 स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विकास करना और उन्हें बढ़ावा देना।

3.4 फिल्म निर्माण हेतु बुनियादी ढांचा तैयार करना।

3.5 फिल्म निर्माण क्षेत्र में राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करना ।

3.6 प्रचार प्रसार, विपणन एवं ब्रांडिंग के माध्यम से प्रदेश में फिल्मों तथा पर्यटन विकास को गति प्रदान करना।

3.7 प्रदेश के पर्यटन स्थलों को फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना।

3.8 प्रदेश में फिल्म शूटिंग की अनुमति की आसान प्रक्रिया बनाई जाना एवं प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा फिल्मांकन को प्रोत्साहित करना।

3.9 फिल्म निर्माण एवं प्रोत्साहन हेतु सभी आवश्यक उपाय करना।

4. रणनीति :प्रदेश में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए :

यह नीति प्रदेश में पयर्टन प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में सहायक होगी। फिल्म पर्यटन नीति–2020 के तहत निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे –

4.1 समस्त प्रक्रियाओं, अनुमोदन, अनुमति और लाइसेंस की रूकावटों को दूर करने के लिए परिभाषित करना।

4.2 निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और छूट प्रदान करना ।

4.3 आधारभूत संरचना बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करना।

4.4 फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण हेतु एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना।

4.5 फिल्म निर्माताओं के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाऐं विकसित करना।

5. सलाहकार/साधिकार समिति : मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 1/9–64/2019/1/5 दिनांक 22/12/2016 से साधिकार समिति का गठन किया गया है, जो कि प्रदेश में पर्यटन नीति के क्रियानवयन के लिए नीति स्पष्टीकरण/व्याख्या/विवाद निराकरण हेतु प्राधिकृत है। फिल्म पर्यटन नीति 2020 मूलतः पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 का ही हिस्सा है अतः इस समिति में प्रमुख सचिव, वाणिज्यकर विभाग को शामिल करते हुए इस समिति द्वारा फिल्म पर्यटन नीति 2020 क्रियान्वयन के लिये नियम स्पष्टीकरण, नियम संशोधन, निर्देश/अनुमोदन, निगरानी का कार्य भी किया जायेगा।

5.1 साधिकार समिति प्रदेश अन्तर्गत सभी नगर निकायों/ग्रामीण क्षेत्रों के तहत आने वाले स्थलों एवं शासकीय आधिपत्य वाली सम्पत्तियों पर फिल्म शूटिंग के लिये दरों का निर्धारण करेगी तथा यह दरें सम्पूर्ण राज्य में लागू होंगी।

6. फिल्म सुविधा सेल (फिल्म फेसीलिटेशन सेल) :

6.1 फिल्म पर्यटन नीति को क्रियान्वित करने के लिए, एक समर्पित फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ (फिल्म फेसीलिटेशन सेल) का गठन किया जाएगा। प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की अध्यक्षता में यह फिल्म फेसीलिटेशन सेल फिल्म पर्यटन हेतु प्रदेश की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। यह समिति फिल्म पर्यटन नीति 2020 के क्रियान्वयन, प्रक्रिया निर्धारण, आवेदनों के निराकरण संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय करेगी तथा फिल्म उद्योग की अद्यतन प्रवृतियों के अनुसार नीति संबंधी सुझाव एवं नियामक सुधार के लिये समय–समय पर प्रस्ताव तैयार करेगी।

6.2 फिल्म सुविधा सेल के सदस्य (फिल्म फेसीलिटेशन सेल):

प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड (अध्यक्ष)
अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड (उपाध्यक्ष)
संचालक, आईपी, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड (सदस्य)
उपसंचालक, फिल्म पर्यटन, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड (सदस्य सचिव)
उपसंचालक, वित्त, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड (सदस्य)
पुरातत्व सलाहकार, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड (सदस्य)
फिल्म उद्योग से संबंधित व्यक्ति/निकाय (प्रबंध संचालक द्वारा नामांकित सदस्य)
संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष (आवश्यकतानुसार) (सदस्य)

6.3 फिल्म फेसीलिटेशन सेल का कार्यक्षेत्र :

6.3.1 सभी आवेदन फिल्म फेसीलिटेशन सेल, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा ऑनलाइन प्राप्त किये जायेगें। (वेब पोर्टल तैयार न होने तक ऑफलाइन मोड में भी

प्राप्त किए जा सकेंगे)

6.3.2 फिल्म फेसीलिटेशन सेल फिल्म अनुदान हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/देयकों की जांच करने के लिए स्वयं के स्तर पर एक विभागीय वित्त समिति का गठन करेगा ।

6.3.3 फिल्म फेसीलिटेशन सेल राज्य में फिल्म शूटिंग में सहयोग करने वाले लाइन प्रोड्यूसर को पंजीकृत करने हेतु कार्यवाही करेगा।

6.3.4 फिल्म फेसीलिटेशन सेल, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे एवं सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली तथा अन्य समकक्ष संस्थानों में मध्य प्रदेश के अध्ययनरत छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चयन प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

6.3.5 फिल्म फेसीलिटेशन सेल फिल्म पर्यटन नीति–2020 के संबंधी विस्तृत दिशा–निर्देश, नियम, प्रक्रिया, मापदण्ड एवं अन्य सभी प्रपत्र एवं अनुबंध इत्यादि जो कि नीति के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो, को निर्धारित/लागू करने हेतु प्राधिकृत होगा।

6.3.6 फिल्म फेसीलिटेशन सेल फिल्म नीति संबंधी आवेदन शुल्क/पंजीकरण शुल्क आवश्यकता होने पर तय कर सकेगा।

6.3.7 फिल्म फेसीलिटेशन सेल प्रदेश की फिल्म पर्यटन नीति तथा फिल्म शूटिंग हेतु सभी संभावित स्थानों का संकलित विवरण समय–समय पर प्रकाशित करे गा एवं प्रिन्ट तथा डिजिटल मीडियों के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु कार्य करेगा।

7. क्रियान्वयन :

7.1 सम्पूर्ण नीति एवं प्रपत्र मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाएगें।

7.2 यह नीति सभी पात्र राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के फिल्म शूटिंग अनुमति लेने और अनुदान आवेदनों पर लागू होगी।

7.3 फिल्म शूटिंग की अनुमति और फिल्म निर्माण हेतु अनुदान आवेदन करने से पूर्व एक बार (One Time) ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

7.4 अनुदान हेतु आवेदित परियोजना में दृष्य/श्रव्य माध्यम से देश/प्रदेश एवं प्रदेश के लोगों के बारे में कोई प्रतिकूल अथवा नकारात्मक दृश्य/ संवाद न हो, इसका परीक्षण फिल्म फेसीलिटेशन सेल अनुदान स्वीकृति पूर्व कर सकेगा।

7.5 फिल्म फेसीलिटेशन सेल फिल्म शूटिंग हेतु प्राप्त आवेदनों को समय पर अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों/ अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा।

7.6 फिल्म अनुदान हेतु आवेदित परियोजना के पूर्ण/प्रसारित होने के पश्चात निर्माता द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुदान हेतु आवश्यक सहपत्रों सहित मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड में आवेदन प्रस्तुत करेगा। अनुदान हेतु परियोजना लागत (COP) के मान्य प्रमुख व्यय मद संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार होगें।

7.7 प्रबंध संचालक द्वारा गठित वित्तीय समिति अनुदान प्रमाणों का परीक्षण करेगी, तथा अपनी अनुशंसा के साथ निर्णय के लिये फिल्म फेसीलिटेशन सेल के अध्यक्ष को प्रेषित करेगी।

7.8 अध्यक्ष फिल्म फेसीलिटेशन सेल के अनुमोदन के बाद आवेदक को एक अनुदान स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।

7.9 अनुदान राशि का भुगतान आवेदक को ऑनलाइन किया जाएगा।

7.10 अनुदान राशि का भुगतान समस्त आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति पश्चात कार्यालय में प्रस्तुति दिनांक से 45 कार्य दिवस की अधिकतम समयसीमा के अंदर किया जायेगा।

8. सिंगल विंडो क्लीयरेंस :

मध्य प्रदेश में शूटिंग करने के इच्छुक फिल्म निर्माताओं के लिए एकल बिन्दु इंटरफेस प्रदान करने तथा समयबद्ध अनुमति तंत्र के लिए एक समर्पित ऑनलाइन फिल्म वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। सभी आवेदन फिल्म फेसीलिटेशन सेल द्वारा ऑनलाइन तरीके से (वेब पोर्टल तैयार न होने तक ऑफलाइन) प्राप्त किए जाएंगे और संबंधित विभाग से समन्वय कर अनुमति हेतु कार्रवाई की जावेगी। यह समर्पित पोर्टल फिल्म पर्यटन नीति के संबंध में सूचना–प्रसार के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करेगा और नियमों, विनियमों, अनुदान और अन्य सुविधा सेवाओं से संबंधित जानकारी भी प्रदान करेगा।

फिल्म फेसीलिटेशन सेल सभी फिल्म निर्माताओं/आवेदकों को शूटिंग की अनुमतियों के लिए आवश्यक सहायता, समन्वय एवं सुविधा उपलब्ध कराएगा।

प्रत्येक जिले में एडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जायेगा, जो कि फिल्म पर्यटन नीति 2020 के क्रियान्वयन में जिला स्तर पर सहयोग एवं समन्वय करेगा।

9. राज्य में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार–प्रसार एवं प्रोत्साहन सहायता :

फिल्म पर्यटन नीति के माध्यम से राज्य सरकार मनोरंजन उद्योग के विकास के लिये प्रतिबद्ध है। फिल्म संबंधी हितधारकों के लिए अधिकाधिक अवसर पैदा करने की दृष्टि से, राज्य सरकार विभिन्न प्रयास करेगी। प्रचारक गतिविधियों के तहत विभिन्न थीम पार्क, सेल्फी पॉइंट, फिल्म फेस्टिवल और फिल्म अवार्ड आदि विकसित किए जाएंगे। फिल्म फेसीलिटेशन सेल विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों, गोष्ठी, सेमीनार आदि में भागीदारी पर निर्णय लेगा, जो राज्य में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। प्रदेश में भी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/गोष्ठी/सेमीनार आयोजित किये जायेगें तथा देश के प्रमुख फिल्म निर्माताओं के फेम टूअर्स आयोजित किये जायेगें। प्रदेश के फिल्म शूटिंग स्थलों पर फिल्मांकित की गई फिल्मों के स्थलों को पर्यटक आकर्षण हेतु पर्यटन उत्पाद के रूप में विकसित कर प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

फिल्म फेसीलिटेशन सेल द्वारा फिल्म नगरी मुम्बई में निर्माताओं को प्रदेश में फिल्म बनाने के लिए आकर्षित करने/सुविधा प्रदान करने के लिए शाखा कार्यालय आवश्यकतानुसार स्थापित किये जाने पर विचार किया जाएगा।

10. फिल्म पर्यटन नीति अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन :

फिल्म सुविधा सेल, पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माण/टीवी सीरियल/ वेब श्रृंखला आदि एवं अन्य नीति संबंधित प्रावधानों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

फिल्म निर्माताओं को राज्य में अपनी फिल्मों के अधिकाधिक फिल्मांकन करने के दृष्टिकोण से प्रदेश में किसी भी भाषा में फिल्म निर्माण किये जाने पर अनुदान हेतु निम्न पात्रता मापदण्ड निर्धारित किये जाते है :

10.1 फीचर फिल्मों के लिए अनुदान :

10.1.1 पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान :

क्र.	पहली फिल्म के लिए अनुदान	मापदंड
1	रु. 1 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों
2	रु. 1.50 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों

10.1.2 दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान :

क्र.	दूसरी फिल्म के लिए अनुदान	मापदंड
1	रु. 1.25 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों
2	रु. 1.75 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों

10.1.3 तीसरी और आगे की फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुदान :

क्र.	तीसरी फिल्म के लिए अनुदान	मापदंड
1	रु. 1.50 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों
2	रु. 2.00 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों

* यदि प्रदेश में 75 प्रतिशत से अधिक शूटिंग दिवस वाली फीचर फिल्म के फिल्मांकन में मध्य प्रदेश को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया हो, तथा प्रदेश के पर्यटन को सीधे तौर पर बढ़ावा मिलता है, तो ऐसी फिल्म को प्रत्येक श्रेणी (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं आगामी फिल्म) में रूपये 50.00 लाख अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान दिया जा सकेगा, जिसका निर्णय फिल्म फेसीलिटेशन सेल द्वारा लिया जायेगा।

* मध्य प्रदेश विशेष ब्राण्डिंग (MP Specific Film) की दृष्टि से प्रदेश पर आधारित कहानी/स्क्रिप्ट पर प्रदेश में फिल्मांकन एवं फिल्म निर्माण हेतु फिल्म की परियोजना लागत के 50 प्रतिशत अथवा रूपये 5.00 करोड़ जो भी कम हो, का विशेष अनुदान प्रदान किया जा सकेगा। इस प्रकार के अनुदान विषयक निर्णय के लिए साधिकार समिति अधिकृत होगी।

10.1.4 राज्य में फिल्म शूटिंग का प्रतिशत सम्पूर्ण फिल्म के कुल शूटिंग दिनों में से मध्य प्रदेश में शूटिंग किए गए दिनों की संख्या के अनुपात में गिना जाएगा।

10.1.5 राज्य में शूटिंग दिनों की संख्या की जानकारी संबंधित जिले के जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित की जाएगी।

10.1.6 यदि फिल्म निर्माता मध्य प्रदेश के स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर दे रहा है, तो अतिरिक्त अनुदान के रूप में, न्यूनतम 3 प्रमुख स्तर (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर) के कलाकारों के लिये अधिकतम 25 लाख रु. प्रदान किए जाएंगे और न्यूनतम 5 द्वितीयक स्तर (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर के अतिरिक्त अन्य प्रमुख कैरेक्टर) के कलाकारों के लिये अधिकतम 10.00 लाख रूपये अथवा उक्त दोनों श्रेणियों हेतु कलाकारों के वास्तविक भुगतान की 50 प्रतिशत राशि, जो भी कम हो प्रदान की जाएगी। यह राशि भुगतान किये गये दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को प्रदान की जावेगी।

10.1.7 फिल्म निर्माण की कुल लागत (COP) और कुल शूटिंग दिवसों की संख्या जो कि आवेदन में प्रस्तुत की गयी है, का निर्णय आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत की गयी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा।

10.1.8 फिल्म शूटिंग/टी.वी.धारावाहिक/टी.वी.शो/OTT प्लेटफार्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/ओरिजनल शो, डाक्यूमेंट्री हेतु अनुमति शुल्क की प्रतिपूर्ति:-

क्र.	अनुदान	मापदंड
1	राज्य में भुगतान किए शूटिंग अनुमति के वास्तविक शुल्क का 50% प्रतिपूर्ति	फिल्म शूटिंग/OTT प्लेटफार्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/ ओरिजनल शो/ डाक्यूमेंट्री की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों। टी.वी.धारावाहिक/ टी.वी. शो राज्य में न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग होने पर
2	राज्य में भुगतान किए शूटिंग अनुमति के वास्तविक शुल्क का 75% प्रतिपूर्ति	फिल्म शूटिंग/OTT प्लेटफार्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/ ओरिजनल शो/ डाक्यूमेंट्री की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों। टी.वी.धारावाहिक/ टी.वी. शो राज्य में न्यूनतम 180 दिवसों की शूटिंग होने पर

10.1.9 यदि आवेदित फीचर फिल्म परियोजना द्वारा न्यूनतम 50 प्रतिशत शूटिंग दिवस का मापदण्ड पूर्ण नहीं किया जाता है, किन्तु निर्मित फीचर फिल्म में कुल स्क्रीन समय का क्रमशः 20 एवं 10 प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में शूटिंग किये गये दृश्यो को दिया गया हो, तथा आवेदक फीचर फिल्म परियोजना में मध्य प्रदेश की ब्राण्डिंग विशेष रूप से है, को क्रमशः अधिकतम रूपये 75.00 लाख एवं रूपये 50.00 लाख वित्तीय अनुदान दिया जा सकेगा, जिसका परीक्षण फिल्म फेसीलिटेशन सेल द्वारा किया जायेगा।

10.1.10 दक्षिणी राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलुगू, कन्नड़ एवं मलयालम) में सिनेमा एक प्रमुख एवं प्रभावी उद्योग है, तथा वहाँ क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के लिए दर्शक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में इन राज्यों से आने वाले पर्यटकों की संख्या कम है। अतः प्रदेश के पर्यटन महत्व के स्थलों को दक्षिणी राज्यों में लोकप्रियता बढ़ाने के लिए दक्षिणी राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं यथा – तमिल, तेलुगू, कन्नड़ एवं मलयालम फिल्मों को उपरोक्त कण्डिका 10.1 के सभी मापदण्डों को पूर्ण करने पर उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त 10 प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिया जा सकेगा।

* उपरोक्त अनुदान राज्य के भीतर के ASI, पुरातत्व, स्थानीय नगर निकायों, पर्यटन विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी और सभी राज्य या केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान/स्मारकों पर लगने वाले सभी प्रकार के अनुमति शुल्क पर देय होगा।

* जो प्रस्ताव अनुमति शुल्क की छूट के लिये उपरोक्त दायरे में नहीं आते (यथा 50 प्रतिशत से कम शूटिंग दिवस वाले फिल्म प्रस्ताव) उनके लिये शूटिंग स्थलों पर लगने वाले शुल्क को रियायत/निशुल्क करना एफएफसी के विवेकाधीन होगा।

* फिल्म फेसीलिटेशन सेल फिल्म निर्माताओं को अनुदान प्रदान करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और प्रक्रिया जारी करेगा।

10.2 टीवी धारावाहिक/शो के लिए अनुदान :

क्र.	अनुदान	मापदंड
1	रु. 50 लाख तक या टीवी धारावाहिक/शो की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो	राज्य में न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग होने पर
2	रु. 1.00 करोड़ तक या टीवी धारावाहिक/शो की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो	राज्य में न्यूनतम 180 दिवसों की शूटिंग होने पर

10.2.1 राज्य में शूटिंग दिनों की संख्या की संबंधित जानकारी संबंधित शूटिंग जिले के जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित की जाएगी।

10.2.2 उपर्युक्त अनुदान केवल उन आवेदको को प्रदान किया जावेगा, जो कि GEC (General Entertainment Channels) से विधिवत टेलीकास्ट शेड्यूल जारी कराकर प्रस्तुत करेगें।

10.2.3 यदि टीवी धारावाहिक/शो निर्माता मध्य प्रदेश के स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर दे रहा है, तो अतिरिक्त अनुदान के रूप में, न्यूनतम 3 प्रमुख स्तर (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर) के कलाकारों के लिये कुल अनुदान अधिकतम 25.00 लाख रु. तक प्रदान किए जाएंगे और न्यूनतम 5 द्वितीयक स्तर (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर के अतिरिक्त अन्य प्रमुख कैरेक्टर) के कलाकारों के लिये कुल अनुदान अधिकतम 10.00 लाख रुपये अथवा उक्त दोनों श्रेणियों हेतु कलाकारों के वास्तविक भुगतान की 50 प्रतिशत राशि जो भी कम हो प्रदान की जाएगी। यह अनुदान राशि प्राप्तकर्ता कलाकारों को राशि भुगतान किये गये दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को प्रदान की जाएगी

10.3 OTT (Over the Top) प्लेटफार्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/ओरीजनल शो के लिए अनुदान :

क्र.	अनुदान	मापदंड
1	रु. 50.00 लाख तक या वेब सीरीज/ ओरीजनल शो की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो	वेब सीरीज/ ओरीजनल शो की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों
2	रु. 1.00 करोड़ तक या वेब सीरीज/ ओरीजनल शो की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो	वेब सीरीज/ ओरीजनल शो की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों

10.3.1 राज्य में शूटिंग दिनों की संख्या की जानकारी संबंधित शूटिंग जिले के जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित की जाएगी।

10.3.2 यदि वेब सीरीज निर्माता मध्य प्रदेश के स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर दे रहा है, तो अतिरिक्त अनुदान के रूप में, न्यूनतम 3 प्रमुख स्तर (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर) के कलाकारों के लिये कुल अनुदान अधिकतम 25.00 लाख रु. तक प्रदान किए जाएंगे और न्यूनतम 5 द्वितीयक स्तर (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर के अतिरिक्त अन्य प्रमुख कैरेक्टर) के कलाकारों के लिये कुल अनुदान अधिकतम 10.00 लाख रुपये अथवा उक्त दोनों श्रेणियों हेतु कलाकारों के वास्तविक भुगतान की 50 प्रतिशत राशि जो भी कम हो प्रदान की जाएगी। यह अनुदान राशि प्राप्तकर्ता कलाकारों को राशि भुगतान किये गये दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को प्रदान की जाएगी।

10.3.3 उपर्युक्त अनुदान केवल उन आवेदको को प्रदान किया जावेगा, जो कि OTT (Over the Top) प्लेटफार्म से विधिवत टेलीकास्ट शैड्यूल/रिलीज सर्टीफिकेट जारी कराकर प्रस्तुत करेगें।

* वेब सीरिज/ओरीजनल शो के OTT (Over The Top) प्लेटफार्म शूटिंग से संबंधित गाइड लाईन समय–समय पर एफएफसी द्वारा जारी की जा सकेगी, जो कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों के अधीन रहेगी।

* चूंकि वर्तमान में OTT (Over The Top) प्लेटफार्म के लिये कोई प्रमाणीकरण के मापदण्ड नही है। अत: एफएफसी समिति इसकी स्क्रिप्ट सामग्री के निर्धारण एवं अनुदान स्वीकृति हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत होगी।

10.4 मध्य प्रदेश में शूट होने वाली डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों के लिए अनुदान :

अनुभवी एवं प्रतिष्ठित डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों के निर्माताओं को प्रदेश से संबंधित डाक्यूमेन्ट्री निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने के उददेश्य् से मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों, वाइल्ड लाईफ, संस्कृति, खानपान, हस्त शिल्प, धार्मिक पर्वों/उत्सवों, रहन–सहन/टैक्सटाइल, प्रदेश के लोगों, विशिष्ट व्यक्तियों, प्रदेश से जुड़ी विरासत/इतिहास एवं कहानियों आदि पर बनाई गई डाक्यूमेन्ट्री, जो कि मध्य प्रदेश में शूट की जायेगीं, को वित्तीय अनुदान निम्नानुसार उपलब्ध कराया जावेगा:–

10.4.1 राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाली डाक्यूमेन्ट्री फिल्म के लिए रूपये 20.00 लाख तक या कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक जो भी कम हो।

10.4.2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाली डाक्यूमेन्ट्री फिल्म के लिए रूपये 40.00 लाख तक या कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक जो भी कम हो।

10.5 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म शूटिंग/टी.वी.धारावाहिक/टी.वी.शो/OTT प्लेटफार्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/ओरिजनल शो परियोजनाओं द्वारा प्रदेश में न्यूनतम 07 दिवस शूटिंग किये जाने पर प्रदेश में किये गये व्यय की 10 प्रतिशत एवं मध्य प्रदेश की विशेष ब्रांडिंग होने पर अधिकतम 25 प्रतिशत राशि तक वित्तीय सहायता के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10.00 करोड़ रूपये तक होगी, जिसका निर्णय फिल्म फेसीलिटेशन सेल द्वारा लिया जावेगा।

* उपरोक्त सुविधा उन राष्ट्रीय फीचर फिल्म निर्माताओं को भी प्राप्त होगीं, जिनकी फीचर फिल्म परियोजना लागत रूप में 100.00 करोड़ से अधिक होगी। ऐसी इकाईयों को यह विकल्प होगा कि वे कॅण्डिका 10 अन्तर्गत प्रावधानित अनुदान सुविधा अथवा उपरोक्त वर्णित सुविधा में से किसी भी एक का चयन कर सकें।

* फिल्म संबंधी सभी अनुदान और प्रतिपूर्ति, फिल्म प्रमाणन बोर्ड से U अथवा UA प्रमाण–पत्र प्राप्त करने एवं फिल्म रिलीज होने पर दिये जायेगें। इसी प्रकार टीवी धारावाहिक/वेब श्रृंखला आदि के संबंध में टीवी चैनल/मीडिया प्लेटफार्म पर रिलीज होने पर देय होगी । मध्य प्रदेश में फिल्म रिलीज होने को भी अखिल भारतीय रिलीज माना जाएगा। उक्त स्पष्टीकरण बिंदु क्रमांक 10 के सभी विवरणों पर लागू होगा।

11. **बुनियादी ढांचे का विकास:** राज्य में फिल्म निर्माताओं एवं पर्यटको की सुविधा एवं आसानी के लिये बुनियादी ढांचे यथा – सड़कें, परिवहन, वायुयान सम्पर्कता, रेल सम्पर्कता, पर्यटन स्थलों / शूटिंग स्थलों के करीब आवास सुविधा वृद्धि आदि के लिये राज्य सरकार यथा संभव प्रयास करेगी।

12. **सर्विस इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास:** फिल्मों के लिये आवश्यक सहयोगी सेवाऐं जैसे आवास, भोजन, आदि जो मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित है, पर फिल्म के कलाकारों और सहयोगी दल को प्रकाशित/निर्धारित दरों पर, 40 प्रतिशत तक की रियायत प्रदान की जावेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार के स्वामित्व की विभिन्न संस्थाओं यथा–स्पोर्ट्स अकादमी, एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी, बोट क्लब्स आदि के द्वारा भी रियायती दरों पर सुविधाऐं प्रदान की जावेंगी।

13. **विशिष्ट आधारभूत संरचना सहायता:** राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उपलब्ध हवाई पटिट्यों और हेलिकॉप्टर्स को निर्धारित शुल्क के साथ फिल्म निर्माताओं को उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी।

14. **फिल्म मेकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रोत्साहन:** राज्य सरकार निजी निवेशक संस्थाओं को फिल्म संबंधित उपकरण क्रय करने/आयात करने के लिये पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रोत्साहित करेगी।

15. **भौतिक आधारभूत संरचना बनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन :**

15.1 मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 के अन्तर्गत राज्य में फिल्म स्टूडियो और फिल्म निर्माण के लिए स्थायी प्रकृति के बुनियादी ढांचे के निर्माण और उपकरणों की स्थापना पर अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है । पर्यटन नीति की धारा 6 के तहत उप–खंड 6.8, निम्नलिखित अनुदान का प्रावधान है–

अनुदान योजना	न्यूनतम परियोजना व्यय (रूपये लाख में)	स्थायी पूंजीगत व्यय पर अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम सीमा (रूपये लाख में)
फिल्म स्टूडियों एवं फिल्म निर्माण हेतु स्थायी अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना/म्यूजियम, एक्वैरियम, थीम पार्क स्थापना पर पूंजीगत अनुदान	100	15%	500

मध्य प्रदेश के पर्यटन नीति 2016 (संशोधित 2019) के खंड संख्या 6.8 में उल्लिखित अधोसंरचना के अलावा, फिल्म क्षेत्र के कौशल विकास केंद्र और स्टार्ट–अप परियोजनाओं को भी खंड संख्या 6.8 के प्रावधान अन्तर्गत शामिल किया जाता है। उक्त परियोजनाऐं खंड संख्या 6.8 में उल्लेखित अनुदान हेतु पात्र होंगी।

15.2 मध्य प्रदेश के पर्यटन नीति 2016 (संशोधित 2019) की कंण्डिका क्रमांक 5.16 'फिल्म स्टूडियों एवं फिल्म निर्माण हेतु अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना'' गतिविधियों नीति के खण्ड संख्या 6.19 के अनुसार बड़े/ मेगा/ अल्ट्रा–मेगा पर्यटन परियोजनाएं उनकी श्रेणी के अनुसार निवेश संवर्धन सहायता के लिए पात्र होगे :

परियोजना श्रेणी	परियोजना श्रेणी हेतु न्यूनतम निवेश	परियोजना श्रेणी हेतु न्यूनतम (प्रदेश के लोगो को रोजगार)	इकाई द्वारा स्थायी पूंजी निवेश पर यूनिट प्रोत्साहन सहायता का प्रतिशत	निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि की अधिकतम सीमा	वर्षवार निवेश सहायता राशि भुगतान का प्रतिशत			
					प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
वृहद	रु. 10 करोड़ अथवा उससे अधिक	50	30%	15 करोड़	10%	10%	5%	5%
मेगा	रु. 50 करोड़ अथवा उससे अधिक	100	30%	30 करोड़	10%	10%	5%	5%
अल्ट्रा मेगा	रु. 100 करोड़ अथवा उससे अधिक	200	30%	90 करोड़	10%	10%	5%	5%

* पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 के मापदंड और प्रक्रिया के अनुसार उपरोक्त अनुदान का क्लेम किया जा सकता है। किंतु फिल्म निर्माण/ टी. वी. धारावाहिक/ शो निर्माण OTT प्लेमटफार्म पर प्रदर्शित होने वाले वेब सीरीज/ ओरिजनल शो निर्माण एवं डाक्यूमेन्ट्री निर्माण परियोजनाऐं इस प्रावधान के तहत नहीं आयेंगी।

16. फिल्म सिटी :

मध्य प्रदेश सरकार राज्य में फिल्म सिटी स्थापित करने हेतु प्रयास करेगी, ताकि एक ही स्थान पर फिल्म निर्माताओं के लिए पूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो सके। निजी क्षेत्र की सहायता से फिल्म सिटी/ शहरों/ फिल्म लैब की स्थापना की संभावनाओं का आकलन करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा एक विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से व्यवहार्यता अध्ययन कराया जाएगा तथा क्रियान्वयन हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना के लिए पर्यटन नीति 2016 (संशोधित 2019) के अनुसार भूमि भी प्रदान करेगी और सक्रिय बुनियादी ढांचे के निर्माण में सक्रिय रूप से सहयोग करेगी।

17. फिल्म स्टूडियो एवं लैब :

राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म स्टूडियो और प्रोसेसिंग लैब की स्थापना हेतु निजी निवेश को बढ़ावा देगी।

18. भूमि बैंक :

फिल्म पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रदेश में पर्यटन नीति 2016 (संशोधित 2019) की भूमि आवंटन नीति के अनुसार विभिन्न फिल्म उद्योग संबंधी अधोसंचरचना की स्थापना के लिए पर्यटन भूमि बैंक से भूमि आवंटित की जा सकेगी। फिल्म, मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के लिए, निजी निवेश के माध्यम से विशेष क्षेत्र विकसित किये जाएँगे, जिसमें और इन्हीं परियोजनाओं के लिए शासकीय भूमि लीज पर आवंटित की जाएगी। यह लैंड बैंक निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगा:

18.1 फिल्म संबंधी कौशल विकास केंद्र,

18.2 फिल्म संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र,

18.3 फिल्म स्टूडियो और लैब, पोस्ट प्रोडक्शंन केन्द्र, VFX,

18.4 फिल्म सिटी,

18.5 इन्क्यूबेशन केंद्र,

18.6 स्टार्ट–अप प्रोजेक्ट

* भूमि आवंटन उपरान्त निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान किस्तों में करने की सुविधा आवंटी को होगी। आवंटी को निम्नानुसार किस्तों में प्रीमियम राशि जमा करनी होगी :

अ– प्रीमियम का 10 प्रतिशत (GST सहित) आवंटन आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर।

ब– प्रीमियम का 15 प्रतिशत (GST सहित) लीज निष्पादन उपरान्त आधिपत्य प्राप्ति के समय।

स– प्रीमियम का 25 प्रतिशत (GST सहित) परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ करते समय।

द– प्रीमियम का 50 प्रतिशत (GST सहित) परियोजना पूर्ण होने के दिनांक से 180 दिवस के भीतर।

19. फिल्म स्क्रीनिंग :

मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 59 मल्टीप्लेक्स इकाइयाँ हैं, जिनमें 156 मल्टी–स्क्रीन तथा लगभग 149 सिंगल–स्क्रीन हैं। हालाँकि, राज्य के अधिकांश सिंगल स्क्रीन सिनेमा खराब स्थिति में हैं और उनके नवीनीकरण/ जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। राज्य में कई ऐसे छोटे शहर व कस्बे हैं, जिनमें सिनेमा हॉल उपलब्ध नहीं हैं । अतः राज्य में मौजूदा सिनेमा हॉल/ मल्टीप्लेक्स को सहयोग प्रदान करना और नये सिनेमा हॉल/ मल्टीप्लेक्स की स्थापना को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

19.1 सिंगल स्क्रीन सिनेमा :

राज्य सरकार एकल स्क्रीन सिनेमाघरों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नगर निगम क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों पर कम लागत वाले एकल स्क्रीन सिनेमाघरों की स्थापना के लिए किये गए पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत पूंजी अनुदान प्रदान करेगी। यह सुविधा केवल गाँव/ शहर में स्थापित किए जा रहे प्रथम 03 नवीन एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के लिए उपलब्ध होगी। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल के विकास पर सब्सिडी निम्नानुसार प्रदान की जाएगी:

अनुदान योजना	न्यूनतम परियोजना व्यय (रूपये लाख में)	स्थायी पूंजीगत व्यय पर अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम सीमा (रूपये लाख में)
एकल स्क्रीन सिनेमाघर	50	15%	50

19.2 मौजूदा सिनेमाघर के पुर्नउद्धार एवं अद्धतन् कार्य हेतु सहायता :

सिनेमा हॉल में फिल्म देखने को बढ़ावा देने के लिए, मौजूदा सिनेमा हॉल में उपलब्ध सुविधाओं और तकनीक को आधुनिक बनाना और उन्नत करना महत्वपूर्ण है। इस नीति के लागू होने के दिनांक से बंद हो चुके सिनेमाघरों को फिर से क्रियाशील करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा एवं सिनेमाघरों से सम्बद्ध अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए अनुमति प्राप्त करने में संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर सहायता दी जाएगी। मौजूदा बंद सिनेमा हॉल के उन्नयन पर राज्य सरकार निम्नलिखित वित्तीय लाभ प्रदान करेगी ।

अनुदान योजना	न्यूनतम परियोजना व्यय (रूपये लाख में)	स्थायी पूंजीगत व्यय पर अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम सीमा (रूपये लाख में)
सिनेमाघरों का उन्नयन	25	15%	50

* सिनेमाघर से आशय 100 कुर्सी दक्षता वाले सिनेमा प्रदर्शन हॉल, बुकिंग विंडो, दर्शक सुविधाओं, आधुनिक उपकरणों व पार्किंग व्यवस्था आदि से होगा।

19.3 मल्टीप्लेक्स की स्थापना को प्रोत्साहित करना :

मल्टीप्लेक्स सिनेमा में एक से अधिक फिल्म चलाने के लिए स्क्रीन की संख्या समवर्ती होती है, जिससे दर्शकों के लिए एक ही समय में एक से अधिक फिल्मों के अवसर उपलब्ध होते हैं। मध्य प्रदेश में नवीन मल्टीप्लेक्स की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए, जिनमें एक या अधिक सिनेमा स्क्रीन हों को वित्तीय सहायता निम्नानुसार प्रदान की जायेगी।

अनुदान योजना	न्यूनतम परियोजना व्यय (रूपये करोड़ में)	स्थायी पूंजीगत व्यय पर अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम सीमा (रूपये लाख में)
मल्टीप्लेक्स	01	15%	75

20. कौशल विकास और क्षमता निर्माण: मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं दोनों के लिए पसंदीदा फिल्म शूटिंग गंतव्य के रूप में उभरा है, परन्तु राज्य मे कुशल कार्यबल उपलब्ध न होने के कारण निर्माता अपने साथ प्रदेश के बाहर के तकनीशियन, कलाकार एवं अन्य कार्यबल साथ लेकर राज्य के शूटिंग गंतव्यो की यात्रा करता है, जिससे निर्माताओ को अधिक लागत व्यय करनी पड़ती है।

मध्य प्रदेश में प्रतिभावान लेखक, संगीतकार, निर्माता, डिजाइनर और कलाकारों की प्रचुर संभावनाऐं है, जो कि फिल्म निर्माण गतिविधियों में सहयोग कर सकते हैं। फिल्म क्षेत्र में कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण हेतु भी राज्य में कलाकारों एवं फिल्म तकनीशियनों के लिये सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। राज्य शासन द्वारा फिल्म निर्माताओ की इस लागत को कम करने के लिए आवश्यक कुशल कार्यबल एवं जनशक्ति विकसित की जावेगी ताकि फिल्म निर्माता राज्य के कुशल कार्यबल का उपयोग कर सकेंगे, जिससे राज्य में रोजगार वृद्धि होगी। राज्य मे थिएटर/ फिल्म उद्योग के अंतर्गत काम करने वाले युवाओ और कलाकारों के लिए नये अवसर उपलब्ध होंगे | सिनेमा उद्योग संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों, कौशल केंद्रों और सिनेमा स्टार्ट–अप परियोजनाऐं, राज्य पर्यटन नीति 2016 (संशोधित 2019) के कंडिका क्रं. 6.8 तथा 6.19 अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता के पात्र होंगे।

20.1 निजी निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से राज्य में फिल्म उद्धोग संबंधी कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केन्द्रों में फिल्म निर्माण, निर्देशन, उत्पादन, प्रकाश व्यवस्था, संपादन, कलर ग्रेडिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, फिल्म वितरण और प्रदर्शनी, एनीमेशन और ग्राफिक्स आदि के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण उपलब्ध होंगे।

20.2 राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राज्य के विश्वविद्यालय में प्रासंगिक फिल्म प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रयास किये जायेंगे। फिल्मों से संबंधित अद्यतन तकनीकों और पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए राज्य सरकार निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करेगी।

20.3 निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करके एनीमेशन और कंप्यूटर ग्राफिक्स तथा अन्य तकनीकी सुविधाओं आदि के लिए इन्क्यूबेशन केंद्र की स्थापना की जाएगी।

20.4 विभिन्न फिल्मांकन विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। राज्य सरकार प्रदेश में फिल्मों से संबंधित विषयों पर सामयिक कार्यशाला/ सीमित अवधि पाठ्यक्रम आदि आयोजित करेगी। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाधनों में शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम भी चलाएगी।

20.5 फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डिया (एफटीआईआई) पुणे तथा सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली एवं अन्य समकक्ष प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रदेश के छात्रों को अध्यायन हेतु रु 50,000/– प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। एक वर्ष में प्रदान की जाने वाली अधिकतम छात्रवृत्तियों की संख्या 10 छात्र होगी। छात्रवृत्ति हेतु नियम/शर्त/प्रक्रिया फिल्म फेसीलिटेशन सेल द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

21. राज्य सहयोग हेतु अर्हता :

21.1 प्रत्येक प्रोडेक्शन कम्पनी जो फिल्म नीति के तहत सहायता प्राप्त करेगी, उन्हें राज्य सरकार, पर्यटन विभाग को श्रेय (क्रेडिट) अनिवार्यत: फिल्म के साथ शूटिंग स्थल के नाम सहित प्रदर्शित करना होगा।

21.2 राज्य शासन/पर्यटन विभाग का लोगो फिल्म/टी.वी.धारावाहित/शो/वेब–सीरीज/ओटीटी शो/डाक्यूमेन्ट्री की क्रेडिट लिस्ट में अनिवार्यतः उपयोग करना होगा।

22. नीति को लागू करना और वैधता अवधि :

फिल्म पर्यटन नीति–2020 का क्षेत्र सम्पूर्ण मध्य प्रदेश होगा तथा यह नीति लागू होने के दिनांक से आगामी 5 साल के लिए वैध होगी ।

23. विवाद समाधान :

नीति क्रियान्वयन में किसी भी विवाद पर साधिकार समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति का निर्णय अंतिम और सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा।

24. संशोधन फिल्म पर्यटन नीति 2020 :

संशोधन फिल्म पर्यटन नीति 2020 के किसी भी प्रावधान में संशोधन, स्पष्टीकरण एवं व्याख्या के लिए साधिकार समिति अधिकृत होगी।

———————— × ————————

नोट : पॉलिसी मूल लेख हिंदी भाषा में है। सुविधा हेतु अंग्रेज़ी भाषा में इसका भावान्तर किया गया है।
किसी भी भाग में स्पष्टता हेतु हिंदी भाषा को मान्य किया जाएगा।

परिशिष्ट– ''अ''

फिल्म– शूटिंग/ टी.वी. धारावाहिक/ टी.वी.शो/ OTT प्लेटफार्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/ ओरिजनल शो/ डाक्यूमेंट्री की कुल परियोजना लागत अन्तर्गत सम्मिलित व्ययमद

अनुदान हेतु प्रस्तुत आवेदन में आवेदक द्वारा किये गये कुल पूंजीगत व्यय में से निम्न व्याय मद अनुदान हेतु मान्य होगें:–

1. Lead Actors fees
2. Producer fees
3. Director & Writer fees
4. Supporting Cast Charges
5. Dialogue/Story Writer fees
6. Entourage Charges
7. Extras & Features Charges
8. Direction Department Fees
9. Production Department Including Line Producer Fees
10. Camera, Grip & Light Fees
11. Sync Sound & Sync Security
12. Art Department Fees Including Wages
13. Costume Department Fees
14. Make-up & Make-up Material
15. Choreographer & Photographer Fees
16. Camera & Equipment Hire Charges
17. Sound Equipment Hire Charges
18. Light & Grip Hire Charges
19. Generator Hire Charges
20. Vanity Van , Walkies & Picture Vehicles Hire Charges
21. Workshop, Recce, Rehearsals expenditure
22. Costume Purchase & Hire Charges
23. Art , Set & Props expenditure
24. Transport Charges
25. Location Charges
26. Flights & Hotel Accommodation expenditure
27. Food & Beverage expenditure
28. Production Office Cost
29. Post Production, Legal & Auditor fees/ Charges

उपर्युक्त विवरणों के अलावा अन्य अतिरिक्त व्यय मदों को विचार कर उपरोक्ता सूची में सम्मिलित करने के लिए मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड का फिल्म सुविधा सेल (FFC) अधिकृत होगा ।

मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल।

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 02/03/2020

क्रमांक एफ 01–17/2019/तैंतीस, राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश शासन पर्यटन नीति 2016 (यथा संशोधित 2019) की कंडिका क्रमांक 11.4 में किये गये प्रावधान अनुसार विभागीय संक्षेपिका दिनांक 03/02/2020 के साथ परिशिष्ट 1 पर वर्णित मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 की कंडिका क्रमांक 10 अंतर्गत नीति के प्रयोजन हेतु फीचर फिल्म से आशय "न्यूनतम 90 मिनट की सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, जो केन्द्रीय सेंसर बोर्ड (CBFC) से श्रेणीकृत/प्रमाणीकृत हो तथा सिनेमाघर में प्रक्रियानुसार रिलीज की गई हो" को स्पष्ट करते हुए संलग्न परिशिष्ट 1 "मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020" में जोड़कर अनुमोदन किया जाता है।

उक्त आदेश मंत्रि–परिषद निर्णय के आयटम क्रमांक–13, दिनांक 19 फरवरी 2020 के संदर्भ में जारी किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग
भोपाल, दिनांक 02/03/2020

पृ. क्र. एफ 01–17/2019/तैंतीस,

प्रतिलिपि–:

1. माननीय मंत्री जी, पर्यटन विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल।
6. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
8. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
9. नियंत्रक, केन्द्रीय मुद्राणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।
10. आर्डर बुक।

अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग

MADHYA PRADESH

The heart of
Incredible India

Madhya Pradesh Tourism Board

6th Floor, Lily Trade Wing, Jahangirabad, Bhopal - 462008 | Ph.: +91 755 2780600

E-mail : rammptb@mp.gov.in | www.mptourism.com

Follow us on

Scan the QR Code to visit

mptourism.com

tourism.mp.gov.in

Designed by : Atul Publicity